

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 280/2019

1. ममता पत्नी अमित कुमार जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादीया


बनाम्

1. अमितकुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीया निन जागिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादी निन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं० 19 एनजीसी बी के खाता सं० 10 में कुल 12.650 है० आराजी में से प्रतिवादी के 1/2 हिस्सा यानि 6.325 है० आराजी में से 5.819 है० भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 19 एनजीसी बी के खाता सं० 10 में से प्रतिवादी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.09.2019 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी